कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला–बीजापुर

(छत्तीसगढ़)

Office phone no- 07853-220191 E mail – deo.bijapur92@gmail.com

क्रमांक / 997 / जि.शि.अ. / नीति आयोग / संविदा भर्ती / 2023–24 बीजापुर, दिनांक 27 / 06 / 2023

–:: प्रेस विज्ञप्ति ::–

Walk in Interview

नीति आयोग भारत सरकार, नई दिल्ली से वर्ष 2023–24 में प्राप्त आवंटन के तहत् बीजापुर जिले में बुनियादी शिक्षा अभियान अन्तर्गत पुनः संचालित शालओं में शिक्षा में गुणवत्ता एवं सुधार हेतु स्कूल शिक्षा विभाग जिला बीजापुर के द्वारा निम्नानुसार पदों में अस्थाई रूप से 02 वर्ष के लिए संविदा पदों पर भर्ती वाक इन इंटरव्यू के माध्यम से किये जाने हेतु विज्ञापन की सूचना प्रकाशित किया जा रहा है।

संविदा भर्ती के लिए इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों का Walk in Interview पद नाम के सम्मुख दर्शित तिथि को आयोजित किया जावेगा। इच्छुक एवं पात्र आर्हताधारी अभ्यर्थी निर्धारित एवं वांछित दस्तावेजों के साथ निर्धारित दिनांक 05 / 07 / 2023 को कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे **कार्यालय, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर** में उपस्थित होवे। रिक्त संविदा पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				योग	प्रतिमाह एकमुश्त संविदा वेतन
		अना.	अ.ज.जा	अ.जा.	अ.पि.व.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला समन्वयक	01	0	0	0	01	65000.00
2	प्रोग्राम लीडर	02	02	0	01	05	35000.00
3	फिल्ड कोऑर्डिनेटर	04	03	01	02	10	25000.00
4	लोकल फिल्ड कोऑर्डिनेटर	04	03	01	02	10	15000.00
	योग :–	**11**	**8**	**2**	**5**	**26**	

टीपः–

1. आवेदनों का पंजीयन साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि में प्रातः 10.00 बजे से 11.30 बजे तक किया जावेगा। निर्धारित समय पश्चात आवेदन मान्य नही होगा।

2. रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ एवं विलोपित हो सकती है, इसके लिए समिति का निर्णय अंतिम होगा।

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायेः– अभ्यर्थी के पास संविदा भर्ती के सेवा के लिये निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ होना आवश्यक हैः–

01. जिला समन्वयक :–

(क)

1. न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
3. MSW/MBA या समतुल्य स्नातकोत्तर में 60 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ख)

1. जिला समन्वयक या समकक्ष पद पर शिक्षा विभाग में 04 वर्ष के फेलोशीप कार्य अनुभव एवं बस्तर संभाग में कम से कम 1 वर्ष का कार्य तथा बीजापुर जिले में कार्य अनुभव वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

02. प्रोग्राम लीड़र :–

(क)

1. न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
3. MSW/MBA या समतुल्य स्नातकोत्तर में 60 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ख)

1. प्रोग्राम लीडर पद पर शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यो मे 02 वर्ष का कार्य अनुभव एवं पूर्व में फेलोशिप में कार्य किये अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

03. प्रोग्राम कोआर्डिनेटर :–

1. न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

04. फील्ड कोआर्डिनेटर :–

(क)

1. न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ख)

2. स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षादूत के पद पर कार्य अनुभव एवं स्थानीय बोली/भाषा (हल्बी, गोंडी,) का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

<u>चयन प्रकिया</u> :–

1. उक्त पद पूर्णतः अस्थायी है। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।
2. योग्य अभ्यार्थी नहीं मिलने की स्थिति में अन्य आवेदको पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
3. कार्य में अनुभव वाले आवेदको को प्राथमिकता दी जावेगी।
4. अभ्यार्थियों का चयन साक्षात्कारा के माध्यम से किया जायेगा। चयन प्रकिया में शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक, अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जायेगा।
5. चयन संबंधी उपरोक्त समस्त प्रकिया में समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होंगे।

<u>नियम व शर्ते</u> :–

1. **<u>Walk in Interview</u>** के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त अंक सूची एवं अन्य दस्तावेज स्वंय के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. **<u>Walk in Interview</u>** <u>हेतु **आवेदनो का पंजीयन निर्धारित तिथि में प्रातः 10.00 बजे से 11.30 बजे तक किया जावेगा। निर्धारित समय के पश्चत पंजीयन हेतु आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।**</u>
3. भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
4. चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य किये जायेगें।
5. साक्षात्कार तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक एवं अन्य व्यवसायिक योग्यताएँ तथा अन्य जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगें।
6. निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जावेगा।
7. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी जानकारी संबंधित को पृथक से नही दी जावेगी।
8. संविदा मानदेयः– संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की सुविधा/भत्ता प्रदाय नहीं किया जावेगा।
9. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नही किया जावेगा।
10. आवेदन में आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगां आवेदन पत्र के साथ फोटो, 10वीं(जन्म प्रमाण पत्र), 12वीं, जाति, निवास,अनुभव एवं विज्ञापित पद हेतु वांछित समस्त प्रमाण पत्र तथा अंकसूची–स्व–प्रमाणित सत्यापित

Scanned with OKEN Scanner

होना आवश्यक है। स्व–प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा। तथा इसकी सूचना नहीं दी जावेगी।

11. छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी।
12. **संविदा सेवा अवधि नियुक्ति दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि के लिए की जावेगी। नियुक्ति दिनांक से 02 वर्ष पश्चात उपरोक्त नियुक्तियां स्वयमेव ही समाप्त हो जावेगी।**
13. यह संविदा भर्ती सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.9–1/2012/1–3 दिनांक–31 दिसम्बर 2012 के अनुसार संविदा भर्ती के संबंध में जारी समस्त शर्ते लागू होगी।
14. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा भर्ती) नियम 2012 के तहत् अवकाश की पात्रता होगी।
15. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचारण) नियम 1965 से शासित होंगे।
16. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
17. रिक्त पदों की संख्या घट–बढ़ एवं विलोपित हो सकती है, इसके लिए समिति का निर्णय अंतिम होगा।
18. आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2023 की स्थिति में की जावेगी। उम्र की पुष्टि हेतु 10 वीं की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परन्तु आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये लागू होंगे।
19. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र (निर्धारित आवेदन प्रारूप ही मान्य होगा) का विस्तृत प्रारूप तथा नियम–शर्ते बीजापुर जिले के वेबसाईट www.bijapur.gov.in एवं जिला शिक्षा कार्यालय बीजापुर के सूचना पटल पर देखा जा सकता हैं।
20. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार चयन समिति को होगा।
21. किसी भी विवाद की स्थिति में समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–बीजापुर

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

Scanned with OKEN Scanner